FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, शाहपुरा(भीलवाड़ा)**

किशनलाल पुत्र मगनलाल बनाम बालूराम पुत्र माधु लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 91 सन् 2025

GCMS No. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
1/7/25	वादपत्र/प्रार्थन पत्र बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादपत्र/प्रार्थना पत्र की नकलें प्रतिवादीगण/अप्रार्थी को जरिये सम्मन मार्फत तहसील वास्ते तामील व जवाब पेश किये जाने हेतु भेजी जावें। पत्रावली दिनांक 12/8/25 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** शाहपुरा(भीलवाड़ा) राज.	
12/08/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विड्रो किये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के मध्य आपसी सुलह व रजामंदी से हो जाने से प्रकरण में प्रार्थी आगे कार्यवाही नहीं चाहता है अतः प्रकरण विड्रो करने की अनुमति प्रदान करावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी स्वयं प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगे कार्यवाही संभव नहीं है अतः प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विड्रो करने बाबत स्वीकार किया जाता है। पत्रावली अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विड्रो करने के ही स्तर पर प्रस्तुत की जाती है पत्रावली केवल मुनसिब बोर्ड तक रजिस्टर के कम बोर्ड शामिल रखकर बंद उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर	

धारा 136 के लम्बित/निस्तारित प्रकरणों की सूचना